न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 07/2022.(GCMS : 2022/119)

गुरमेज सिंह पुत्र मखन सिंह जाति रामगढ़िया आयु 70 वर्ष निपवासी मकान नं. बी–13, मैट्रो सिटी मैन तहसील व जिला श्रीगंगानगर

——— **अपीलार्थी**

बनाम

1. **अवतार सिंह** पुत्र गुरमेज सिंह जाति तरखान निवासी मकान नं. बी–13, मैट्रो सिटी मैन तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **मनजीत कौर** पत्नी अवतार सिंह जाति तरखान निवासी मकान नं. बी–13 मैट्रो सिटी मैन तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **बलजिन्द्र सिंह** पुत्र गुरमेज सिंह जाति तरखान निवासी मकान नं. बी–13, मैट्रो सिटी मैन तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. **अमनदीप कौर** पत्नी बलजिन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी मकान नं. बी–13 मैट्रो सिटी मैन तहसील व जिला श्रीगंगानगर

——— **रेस्पोडेंट**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरमेज सिंह स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नोटिस की विधिवत् तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी श्री गुरमेज सिंह को सुना गया।

अपीलार्थी श्री गुरमेज सिंह ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आंशिक अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, जिसे स्वीकार करने हेतु उसने यह अपील प्रस्तुत की है।

उसका आगे यह भी कथन था कि वह मकान नं. 13 बी मैट्रो सिटीमैन, श्रीगंगानगर का रहने वाला, 70 वर्षीय वृद्ध है। वह बीमार रहता है, दवाईया चलती है, काम करने में असमर्थ है तथा आंखो से कम दिखता है। उसकी पत्नी गुरदेव कौर की आज से 8 माह पूर्व बच्चो की वजह से इनके तनाव व दंगा फसाद व गालियां की वजह से परेशानी के कारण मृत्यु हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चुकी है। वह, अब अकेला है। मकान उसका खुद का खरीदाशुदा है और उसके नाम से है।

उसका आगे यह भी कथन था कि उसके दोनों लड़के काम करते है। अपीलांट का पुत्र अवतार सिंह मोटर साईकिल की रिपेयरिंग का काम करता है। मोटर साईकिल खरीद बैचान करता है, ठीक करता है , मोटर साईकिल की असेसरी भी बेचता है। अपीलांट की पुत्रवधु मनजीत कौर घर के अंदर सिलाई का कारोबार बड़े स्तर पर कर रही है उसको भी अच्छी आमदनी हो रही है। अपीलांट का पुत्र बलजिन्द्र सिंह जीयो कम्पनी के अन्दर सेवारत है उसको अच्छा पैकेज मिलता है और मंदीप कौर घर में ही रहती है।

उसका आगे यह भी कथन था कि उसके पुत्र उसे कोई खर्चा नही देते और रोटी पानी की सुविधा भी नहीं दे रहे है और रोजाना किसी ना किसी बात को लेकर उसके साथ तनाव बनाये रखते है, गालिया निकालते है।

उसका आगे यह भी कथन था कि कुछ समय पहले बलजिन्द्र सिंह मकान को खाली करके अपनी पत्नी परिवार सहित गांधी नगर, श्रीगंगानगर में शिफ्ट हो चुका है और उसके बड़े पुत्र अवतार सिंह ने बलविन्द्र सिंह वाले कमरों के अंदर भी कब्जा कर लिया है।

उसका आगे यह भी कथन था कि उसका उठना बैठना मुश्किल हो चुका है। दोनों बहुये उसे परेशान करती रहती है और लड़के उनका मौन समर्थन करते रहते है।

उसका आगे यह भी कथन था कि उसके मकान से बाहर करने की पूरी योजना उनके पुत्र/पुत्रवधुओं [illegible] है और किसी भी वक्त उसको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल [illegible] है, ऐस सभी रेस्पोडेंट ऐलानिया कर रहे है। वह दर बदर की ठोकरे खा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भी कथन था कि उसे भरण पोषण, दवाई खर्चा व अन्य सुविधायें प्राप्त करने का कानूनी हक है। उसकी दो बच्चियां है जब वे आती है तो उनको सभी रेस्पोडेंट बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लेते है और उसे पूरे परिवार के सामने जलील करते है।

उसका आगे यह भी कथन था कि उसे भरण पोषण, दवाई खर्चा व अन्य सुविधाओं एवं रोटी पानी के लिए दोनों लड़कों से कम से कम 15000/— रूपये प्रतिमाह दिलवाये जावे।

उसका आगे यह भी कथन था कि वह दुःखी होकर आया है और दुःख के कारण इस आयु के अंदर गुरूद्वारा साहब चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के यहां पर लंगर खाकर गुजारा कर रहा है।

उसका आगे यह भी कथन था कि उसका मकान नं. 13 बी मैट्रो सिटीमैन श्रीगंगानगर साईज 15 गुणा 50 फुट का मालिक है जिसका रेस्पोडंट 1 व 2 के कारण उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को उसके मकान से बेदखल किया जाना आवश्यक हैं। इसलिए उसकी स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट संख्या 1 व दो को उसके मकान से बेदखल किया जावे और उसे 15000/— रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के दिलवाये जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट को विधिवत् नोटिस की तामील की बावजूद वे इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय में उनके द्वारा जवाब पेश किया हुआ है, जिसमें उन्होने कथन किया है कि अपीलांट को रूपयों की बिना आवश्यकता होने [illegible] प्रार्थी ने अपने मकान को सन् 2001 मे स्वर्गीय [illegible] के पास 5 प्रतिशत प्रति सैंकड़ा ऋण के हिसाब से [illegible] के उक्त मकान का उतरदाता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा ऋण को चु[illegible]ा करके उक्त मकान को रहन से मुक्त करवाया था। चूंकि समस्त परिवार के रहने का सिर्फ यही एक मात्र मकान था इसके अलावा अन्य कोई मकान नहीं था। उक्त मकान के चल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रहे बिजली पानी के बिलों का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा पूर्व में भी तथा आज भी अदा किया जाता है। चूंकि पैतृक बंटवारा में प्रार्थी के हिस्से में आयी हुई कृषि भूमि को भी प्रार्थी द्वारा बेचान कर उसकी समस्त राशि प्रार्थी पूर्व में ही खा चुका है व अपने घर वालों के सोने चांदी के गहने भी बेचकर उसकी राशि खा चुका है। इसके अलावा मकान के लगे हुए जोडियां दरवाजे तथा गैस सिलेण्डर व चुल्हा तक बेचकर प्रार्थी खा चुका है। प्रार्थी हर समय परिवार वालो से व आस पडौस के लोगों से बिना वजह झगडा फसाद दिन प्रतिदिन करता रहता है, जिससे पूरा परिवार हमेशा प्रार्थी से परेशान रहता है। प्रार्थी उतरदाता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से किसी भी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 3 से किसी भी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 3 को प्रार्थी पूर्व में अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल किया हुआ है। प्रार्थी ने पूर्व पार्षद स्वर्गीय रोशन लाल कटारिया के पास उक्त मकान को दुबारा रहन रखा व अप्रार्थीगण द्वारा दुबारा मकान को रहन की पूरी राशि अदा करके मकान को रहन मुक्त करवाया। इसके अलावा प्रार्थी के खिलाफ चैक अनादरण के मामले भी जैरकार रहे व उक्त मामलों में प्रार्थी जेल भी जा चुका है। इसके उपरान्त अप्रार्थीगण ने चैक की रकम अदा करके प्रार्थी को जेल से छुड़वाया। प्रार्थी ने सारा सामान मकान के मुख्य कमरें में रखकर उस पर अपना ताला लगा रखा है। प्रार्थी के पास निजी हीरो होण्डा डीलक्स मोटरसाईकिल आर जे—13 1013 भी है व प्रार्थी मोटरसाईकिल लेक[illegible] रहता है व परिवार वालों से अपनी अनुचित मांग कर पैसे मांगता है व पैसे ना देने पर गाली गलौच व मारपीट करता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरमेज सिंह ने रेस्पोडेंट संख्या—01 अवतार सिंह — पुत्र एवं रेस्पोडेंट संख्या—02

मनजीत कौर–पुत्रवधु, रेस्पोडेंट संख्या 03 बलजिन्द्र सिंह–पुत्र एवं रेस्पोडेंट संख्या 04– अमनदीप कौर–पुत्रवधु के विरूद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एक प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया था कि प्रार्थी वृद्ध है बीमार रहता है, काम करने में असमर्थ है और आंखों से कम दिखता है। प्रार्थी की 4 संताने है जिनमें 2 लडकिया और दो लड़के है। प्रार्थी द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किया हुआ है जो अपने पीहर में परिवार सहित आबाद है। प्रार्थी के मकान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जबरदस्ती रह रहे है एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 कुछ समय पहले उसके मकान को खाली करके अपनी पत्नी परिवार सहित गांधी नगर, श्रीगंगानगर में शिफ्ट हो गये है और बड़े पुत्र अवतार सिंह ने बलविन्द्र सिंह वाले कमरों के अंदर भी कब्जा कर लिया है जिस कारण अपीलार्थी का उठना बैंठना मुश्किल हो गया है। दोनें बहुये अपीलांट को परेशान करती रहती है और लड़के उनका मौन समर्थन करते रहते है। अपीलांट को बाहर करने की रेस्पोडेंट पूरी योजना बना चुके है और किसी भी वक्त अपीलांट को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 अवतार सिंह मोटर साईकिलों की रिपेयरिंग का काम करता है, मोटरसाईकिल खरीद बैचान करता है, ठीक करता है, मोटरसाईकिल की एसेसरी भी बेचना है और अप्रार्थी संख्या 3 बलजिन्द्र सिंह, जीयो कम्पनी में सेवारत है और उसको अच्छा पैकेज मिलता है। प्रार्थी के नाम से स्वयं का उक्त मकान है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए है और प्रार्थी को घर से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को भरण पोषण हेतु किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जा रही है जबकि अप्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत है। अप्रार्थीगण विधिक एवं नैतिक रूप से प्रार्थी का भरण पोषण करने व दवा पानी आदि करने हेतु जिम्मेवार है। प्रार्थी को स्वयं के भरण पोषण, दवा पानी आदि हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 से 15 हजार रूपये प्रतिमाह दिलाये जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एवं प्रार्थी के स्वामित्व के उपरोक्त वर्णित मकान से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे से अप्रार्थीगण को बेदखल कब्जा प्राथी को सुपुर्द करने का अनुतोष पारित किया जावे।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थीगण ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा दिनांक 24.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

> प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.02.2021 को लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि भूखण्ड वाके चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24, मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकल्पिक नक्शानुसार भाग संख्या बी—13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिण हिस्सा साईज 15 ईन्टु 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ जिस पर मकान बना हुआ है तथा बिजली कनेक्शन चालू हालत मे है, प्रार्थी का स्वयं जरिये इकरारनामा दिनांक 09.03.2013 को खरीद किया हुआ है। जिसें स्वतंत्रापूर्वक जीवनयापन का अधिकारी प्रार्थी को है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त निवास में प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहें। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2022 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 1500—1500/— रूपये अखरे एक हजार पांच सौ रूपये [illegible] करेगा। उक्त राशि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के [illegible] में जमा करवानी होगी जिसके लिये [illegible] खाता अप्रार्थी को अपने स्तर से उप[illegible] निश्चित करेगा।
>
> -sd-
> (उम्मेद सिंह रतनू)
> उपखण्ड मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 23.11.2021 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2022 में आंशिक संशोधन कर **अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से 15,000/— रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता राशि दिलवाई जावे तथा अपीलार्थी के मकान जिस पर प्रत्यर्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है, को खाली करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है **इसलिए मनजीत कौर— अप्रार्थी संख्या 2—पुत्रवधु एवं अमनदीप कौर— अप्रार्थी संख्या 4—पुत्रवधु है इसलिए अपीलार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व 4 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

भूखण्ड वाके चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकल्पिक नक्शानुसार भाग संख्या बी—13 मैट्रो[illegible] मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ है, जो कि अपीलार्थी गुरमेज सिंह पुत्र मखन सिंह के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

से है किन्तु उक्त भूखण्ड पर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है, कब व किसको रहन रखा है तथा किसके द्वारा पूरी राशि अदा करके मकान को रहन मुक्त करवाया गया है, का कोई सबूत/साक्ष्य उभयपक्ष ने पेश नही किया है और रेस्पोडेंट भी ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह मालूम होता हो कि अपीलार्थी ने उक्त विवादित मकान चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकल्पिक नक्शानुसार भाग संख्या बी–13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ है, पैतृक सम्पत्ति को बेचकर खरीद किया हो। चूंकि उक्त विवादित चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकल्पिक नक्शानुसार भाग संख्या बी–13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ, अपीलार्थी के नाम स्वः अर्जित रजिस्ट्रीशुदा मकान है इसलिए उस पर समस्त अधिकारी अपीलार्थी के हो जाते हैं तथा पिता और माता की स्वःअर्जित सम्पत्ति पर पुत्र और पुत्रवधु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। **2019(3) आरएलडब्ल्यू 2061(राज.) अनवानी ललिता कंवर बनाम समेर सिंह में निम्न प्रकार से उल्लेख किया है :**

> माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण –पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, धारा 2(ख)(ञ), 4,5,6 – बच्चे और पौत्र की बेदखली – न्यायालय की अ[illegible] – 2007 के अधिनियम के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण [illegible] बेदखली का आदेश करने की शक्ति और [illegible] धारा 3 के अनुसार 2007 के अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होता है – **पिता और माता की स्वअर्जित सम्पत्ति पर [illegible] और पुत्रवधु किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते**– अभिनिर्धारित – आदेश अधिकारिता विहीन नहीं है अतः बहाल रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित मकान संख्या बी—13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर **अपीलार्थी गुरमेज सिंह की स्वः अर्जित सम्पत्ति है** और अपीलार्थी गुरमेज सिंह उक्त विवादित मकान को अप्रार्थीगण से खाली करवाना चाहता है। इसलिए माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 एवं उक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार **उक्त विवादित मकान** चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकल्पिक नक्शानुसार भाग संख्या बी—13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ **पर अपीलार्थी गुरमेज सिंह का सम्पूर्ण अधिकार है। इसलिए रेस्पोडेंट/ अप्रार्थी अवतार सिंह, मनजीत कौर, बलजिन्द्र सिंह और अमनदीप कौर का उक्त विवादित मकान** चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकपिक नक्शानुसार भाग संख्या बी—13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ, **पर किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 उक्त विवादित मकान को खाली करने के आदेश दिया जाना उचित होगा।**

चूंकि उक्त विवादित चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकल्पिक नक्शानुसार भाग संख्या बी—13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ अपीलार्थी गुरमेज सिंह का स्वःअर्जित है इसलिए उक्त मकान पर सम्पूर्ण अधिकार अपीलार्थी गुरमेज सिंह का है ओर उक्त सम्पत्ति पुत्र और पुत्रवधु किसी प्रकार से दावा नहीं कर सकते। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को आदेशित किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कि वे अपीलार्थी गुरमेज सिंह का उक्त मकान चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 16 व 25 में से वैकलिपक नक्शानुसार भाग संख्या बी–13 मैट्रोसिटी मैन, श्रीगंगानगर दक्षिणी हिस्सा मिल साईज पैमायशी 15 गुणा 50 फुट आर पार पूर्व व पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ, को आदेश प्राप्त होने के 01 माह में खाली कर देवें।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट अवतार सिंह एवं बलजिन्द्र सिंह एवं दोनों पुत्रियों से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है:

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

(3) सन्तानो की उसके माता पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में **धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2022 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से भरण पोषण दिलवाने की मांग भी की है **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए प्रत्येक रेस्पोडेंट 2500/– रूपये प्रति माह प्रार्थिया के बैंक खाते में जमा करवायेगा, जिसके लिए प्रार्थिया अपना बैंक खाता अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें [illegible] परेशान करने से निषेध रहे।**

अतः उक्त [illegible] के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की [illegible] है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का रिकार्ड म[illegible] आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:39 IST
Reason: SelfAttested